संख्या-15/2026/48/60-1-2026

(सी-2029142)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 20 मार्च,** 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् निदेशालय के पत्र संख्या-1054/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 17.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में निदेशन तथा प्रशासन मद में कुल धनराशि रूपये 1,34,06,000.00 (रूपये एक करोड़ चौंतीस लाख छः हजार मात्र) की अतिरिक्त व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष:2235020010300 (महिला कल्याण निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	46,12,930 (रुपये छियालीस लाख बारह हजार नौ सौ तीस मात्र)
2	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,99,024 (रुपये एक लाख निन्यानबे हजार चौबीस मात्र)
3	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
4	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	42 अन्य व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
5	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	69,94,046 (रुपये उनहत्तर लाख चौरानबे हजार छियालीस मात्र)
	कुल			1,34,06,000 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख छह हजार मात्र)
	महायोग			1,34,06,000 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख छह हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-592-E-4-283-X-2025-26, दिनांक 20.03.2026 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।